



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 51

दर्ज तिथि:-12.01.2024

1. सदराम वल्द रूपाराम
 2. रतनाराम वल्द रूपाराम
 3. भाखराराम वल्द रूपाराम
 4. तेजाराम वल्द रूपाराम
 5. चौखाराम वल्द रूपाराम
- जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. किशनाराम वल्द उदाराम
 2. सुखराम वल्द उदाराम
 3. हनुमानराम वल्द उदाराम
 4. जमनादेवी पत्नी उदाराम
 5. जगराम वल्द सोनाराम
 6. धीराराम वल्द सोनाराम
 7. बाबुराम वल्द सोनाराम
 8. मानाराम वल्द सोनाराम
 9. रामूराम वल्द सोनाराम
 10. केलीदेवी पत्नी सोनाराम
 11. नैनाराम वल्द वगताराम
 12. मंगलाराम वल्द मोहनलाल
 13. मोहनलाल वल्द भगवानाराम
- जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

14. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा गुडामालानी
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी एवं उपपंजीयक गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री चिमनसिंह चौधरी।

प्रतिवादी:- श्री नारायण कुमावत
श्री मानाराम विश्नोई



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-19.09.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 1686 / 1640 / 3.5613 हैक्टेयर वाके ग्राम कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 हाजा न्यायालय में असालतन-वकालतन उपस्थित हुए एवं शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 के अधिवक्ता द्वारा माफिक हक हिस्सा भूमि की गुणवत्ता एवं आवागमन की सुविधा एवं

वर्तमान कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाने की सहमति दी। जिस पर वकील वादी ने सहमति दिये जाने पर दिनांक 04.04.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक 1971 दिनांक 02.09.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075-2078 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 1686/1640/3.5613 हैक्टेयर वाके ग्राम कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल

खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 1686/1640/3.5613 हैक्टेयर वाके ग्राम कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाइमेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।


खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
सदराम पुत्र रूपाराम	1/5	1686 / 1640	0.3237	बा.दो.
रतनाराम पुत्र रूपाराम	1/5			
भाखराराम पुत्र रूपाराम	1/5			
तेजाराम पुत्र रूपाराम	1/5			
चौखाराम पुत्र रूपाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	1/5			
किता 01 रकबा 0.3237 हैक्टेयर				
जगराम पुत्र सोनाराम	1/6	1686 / 1640	0.6475	बा.दो.
हीराराम पुत्र सोनाराम	1/6			
बाबूराम पुत्र सोनाराम	1/6			
मानाराम पुत्र सोनाराम	1/6			
रामूराम पुत्र सोनाराम	1/6			
केलीदेवी पत्नी सोनाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	1/6			
किता 01 रकबा 0.6475 हैक्टेयर				
किशनाराम पुत्र उदाराम	1/8	1686 / 1640	2.5901	बा.दो.
सुखराम पुत्र उदाराम	1/8			
हनुमानराम पुत्र उदाराम	1/8			
जमनादेवी पत्नी उदाराम	1/8			
नैनाराम पुत्र वगताराम	1/8			
मंगलाराम पुत्र मोहनलाल	1/16			

मोहनलाल पुत्र भगवानाराम जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार (रहन-किशनाराम, सुखराम, हनुमानराम व जमनादेवी का हिस्सा एसबीआई शाखा गुडामालानी)	5 / 16			
किता 01 रकबा 2.5901 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर

सत्यमेव जयते

गुडामालानी



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 51

दर्ज तिथि:-12.01.2024

1. सदराम वल्द रूपाराम
 2. रतनाराम वल्द रूपाराम
 3. भाखराराम वल्द रूपाराम
 4. तेजाराम वल्द रूपाराम
 5. चौखाराम वल्द रूपाराम
- जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. किशनाराम वल्द उदाराम
 2. सुखराम वल्द उदाराम
 3. हनुमानराम वल्द उदाराम
 4. जमनादेवी पत्नी उदाराम
 5. जगराम वल्द सोनाराम
 6. धीराराम वल्द सोनाराम
 7. बाबुराम वल्द सोनाराम
 8. मानाराम वल्द सोनाराम
 9. रामूराम वल्द सोनाराम
 10. केलीदेवी पत्नी सोनाराम
 11. नैनाराम वल्द वगताराम
 12. मंगलाराम वल्द मोहनलाल
 13. मोहनलाल वल्द भगवानाराम
- जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

14. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा गुडामालानी
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी एवं उपपंजीयक गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण:- श्री चिमनसिंह चौधरी।

प्रतिवादी:- श्री नारायण कुमावत
श्री मानाराम विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

निर्णय तिथि:-19.09.2024

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत
तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया
जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या
1686/1640/3.5613 हैक्टेयर वाके ग्राम कांधी
की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे
अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता
है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता
कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज
किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को
दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
सदराम पुत्र रूपाराम	1/5	1686 / 1640	0.3237	बा.दो.
रतनाराम पुत्र रूपाराम	1/5			
भाखराराम पुत्र रूपाराम	1/5			
तेजाराम पुत्र रूपाराम	1/5			
चौखाराम पुत्र रूपाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	1/5			
किता 01 रकबा 0.3237 हैक्टेयर				
जगराम पुत्र सोनाराम	1/6	1686 / 1640	0.6475	बा.दो.
हीराराम पुत्र सोनाराम	1/6			
बाबूराम पुत्र सोनाराम	1/6			
मानाराम पुत्र सोनाराम	1/6			
रामूराम पुत्र सोनाराम	1/6			
केलीदेवी पत्नी सोनाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	1/6			
किता 01 रकबा 0.6475 हैक्टेयर				

किशनाराम पुत्र उदाराम	1 / 8	1686 / 1640	2.5901	बा.दो.
सुखराम पुत्र उदाराम	1 / 8			
हनुमानराम पुत्र उदाराम	1 / 8			
जमनादेवी पत्नी उदाराम	1 / 8			
नैनाराम पुत्र वगताराम	1 / 8			
मंगलाराम पुत्र मोहनलाल	1 / 16			
मोहनलाल पुत्र भगवानाराम जाति विश्णोई सा. देह खातेदार (रहन-किशनाराम, सुखराम, हनुमानराम व जमनादेवी का हिस्सा एसबीआई शाखा गुडामालानी)	5 / 16			
किता 01 रकबा 2.5901 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुरेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 19.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर